भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1797** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **16 दिसम्बर**, 2022/25 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन

†1797. प्रो. सौगत राय :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि वैज्ञानिक अध्ययन के बिना विभिन्न पततनों के निर्माण से पूरे तटीय क्षेत्रों में क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नियमों के निर्माण की अनुमति देने से पहले वैज्ञानिक अध्ययन कराए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार/प्रवर्तक ने क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों को पुन: पुरानी स्थिति में लाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): पत्तनों और हार्बरों के विकास कार्य में संरचनाओं, ब्रेक वॉटर, जेट्टियों, रेक्लेमेशन बांध आदि जैसी संरचनाओं का निर्माण शामिल होता है और साथ ही नौचालन की गहराई के रख-रखाव के लिए ड्रेजिंग कार्य भी शामिल होता है। इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) और/ अथवा राज्य तटीय ज़ोन क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (सीजेडएमए) से मानकों के अनुरूप यथालागू पर्यावरण/ तटीय विनियम ज़ोन (सीआरजेड) क्लियरेंस प्राप्त करना अपेक्षित होता है। जैसा कि एमओईएफएंडसीसी और सीजेडएमए द्वारा निर्धारित किया गया है, परियोजनाओं के विकास के भाग के रूप में पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)

जैसे अध्ययन किए जाते हैं। परियोजना के लिए किए गए अध्ययनों के आधार पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपेक्षित शमनकारी उपाय किए जाते हैं।

(ग): सभी महापत्तन, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। पत्तन अवसंरचना का निर्माण, ट्रांक्विलिटी अध्ययन, गाद की गति का अध्ययन, तटीय कटाव संबंधी अध्ययन, लेट्रल ड्रिफ्ट, गणितीय मॉडल अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव अध्ययन आदि जैसे विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों को करने तथा पर्यावरण संबंधी क्लियरेंस और तटीय विनियम जोन आदि जैसी सांविधिक क्लियरेंस को प्राप्त करने के बाद किया जाता है।

(घ) और (ङ): पत्तनों का सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैरीटाइम इंडिया विज़न (एमआईवी) 2030 जारी किया गया है जिसके अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को अपनाते हुए पर्यावरण संरक्षण के उपायों के साथ पत्तनों के विकास की परिकल्पना की गई है। मंत्रालय द्वारा महापत्तनों के लिए ड्रेजिंग संबंधी दिशा-निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं कि देश में पत्तनों के सतत विकास के लिए ड्रेजिंग परियोजनाओं का कार्यान्वयन, संसाधनों के इष्टतम प्रयोग के साथ किया जाए तथा ड्रेज की गई सामग्री का पुन: प्रयोग किया जाए।

****